न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 53–एक/1993 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–1992 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 133/अपील/1986–87.

....

डायाभाई पिता त्रिभुवनमाई पाटीदार
निवासी थांदला जिला झबुआ
हाल निवासी लिंगस्थडी
जिला बड़ौदा गुजराज

.... आवेदक

विरूद्ध

रणछोड़ पिता रायजी पटलिया
मृतक द्वारा उत्तराधिकारीगण :–
अ–मुलिया पिता रणछोड़ पटलिया
निवासी ग्राम गरवाड़ा तहसील दाहोद जिला पंचमहल गुजरात
ब–धुलिया पिता रणछोड़ पटलिया
निवासी थांदला जिला झाबुआ म0प्र0
स–नाथली पिता मगन सेठ पटलिया
निवासी ग्राम बिलवा तहसील दाहोद
जिला पंचमहल गुजरात
द–मढ़ी पिता तुलसीराम
निवासी ग्राम लिमखेड़ा तहसील दाहोद
जिला पंचमहल गुजरात

.........अनावेदकगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक– आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/9/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–1992 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 456 क्षेत्रफल 0.607 पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया, अतः आवेदक को कब्जा वापिस दिलाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–70/1979–89 दर्ज कर दिनांक 30–4–1981 को आदेश पारित कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर आवेदक को कब्जा दिलाया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–2–1985 को आदेश पारित कर अपील मान्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15–12–1992 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील अमान्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इस तथ्य पर विचार किये बिना कि आवेदक द्वारा प्रारंभ से ही अनावेदक की बीमारी के आधार को चुनौती दी गई थी, के आधार पर अनावेदकपक्ष पर अपनी बीमारी को सिद्ध करने का भार था व उसके द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है व इस कारण उसके द्वारा बताये बीमारी के आधार को मानकर एकतरफा कार्यवाही कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यह ठहराने में भूल की है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक द्वारा दिनांक 10–10–80 को प्रस्तुत आवेदन पत्र का नोटिस दिये बिना आदेश दिनांक 9–10–80 निरस्त करना त्रुटि पूर्ण है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में प्रकरण दिनांक 9–10–80 को मूल आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नियत की गई थी न कि केवल प्रकरण रिकार्ड के परिक्षित होने के लिये । अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस संबंध में दी गई निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय न्यायालयों

द्वारा पारित विवादित आदेश प्रकरण की परिस्थिति व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने के बाद प्रकरण समाप्त कर दिया गया है जबकि विधि अनुसार प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाकर ही प्रकरण समाप्त किया जा सकता है, इसीलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा साक्ष्य लेकर प्रकरण का अंतिम निराकरण करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिनुसार होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–1992 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

6/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 54–एक/1993 (डायाभाई पिता त्रिभुवनमाई पाटीदार विरूद्ध रणछोड़ पिता रायजी पटलिया) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर